3

सुधार के उपाय तथा नीतिगत पहल

3.1 उत्पादन में वृद्धि तथा कोयला क्षेत्र में कार्यकुशलता से संबंधित उपाय

3.1.1 वृद्धिक अन्वेषण प्रयास

सीएमपीडीआईएल गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की योजना स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए नोडल अभिकरण हैं। सीएमपीडीआईएल, एमईसीएल तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य का निष्पादन करता है। पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान, गैर-सीआईएल ब्लॉकों के लक्ष्य, वास्तविक ड्रिलिंग तथा चालू वित्त वर्ष (2015-16) के लक्ष्य इस प्रकार है:-

(ड्रिलिंग लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में वृद्धि %
2012-13	1.75	2.28	2.70
2013-14	3.62	2.38	4.39
2014-15	4.16	2.85 (अनुमानित)	19.75 (अनुमानित)
2015-16	4.82		

तालिका 3.1

12वीं योजना अवधि के दौरान 58 गैर-सीआईएल ब्लॉकों में 19.03 लाख मीटर की ड्रिलिंग की आयोजना की गई है। सीएमपीडीआईएल का अपनी विभागीय क्षमता को 2015-16 तक 3.5 लाख मीटर प्रति वर्ष से 4 लाख मीटर / वर्ष तक बढ़ाने का विचार है ताकि सीआईएल और गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की वृद्धिक मांग को पूरा किया जा सके।

12वीं योजना में सीआईएल में विस्तृत ड्रिलिंग के लिए लक्ष्य 30.52 लाख मीटर है। सीआईएल ब्लॉकों में पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान वास्तविक ड्रिलिंग तथा चालू वित्तीय वर्ष (2015-16) के लिए लक्ष्य अगले पृष्ठ पर दिया गया हैं:-

(ड्रिलिंग लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में वृद्धि %
2012-13	4.07	3.35	23.20
2013-14	5.38	4.59	37.01
2014-15	7.84	5.25 (अनुमानित)	14.38 (अनुमानित)
2015-16	10.18		

तालिका 3.2

उत्पादन में कमी के कई कारण हैं, कई कोयला ब्लॉकों में एक मुख्य समस्या गंभीर कानून तथा व्यवस्था की हैं। ड्रिलिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी का दूसरा कारण वन अनुमोदन की अनुपलब्धता है। पिछले चार वर्षों से वन अधिकारियों के पास कुल 73 आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। लक्ष्यों को प्राप्त न करने के लिए निजी क्षेत्र में कुशल जन शक्ति की कमी और अपर्याप्त क्षमता कुछ अन्य कारण हैं। इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रमुख सार्वभौम कंपनियों को आकर्षित करने हेतु एक नीतिगत आदेश के साथ आगामी वर्षों में सीएमपीडीआईएल को सुदृढ़ करने की आयोजना की जा रही है। यह उम्मीद है कि वन अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

3.1.2 कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नवीकृत नीति पर जोर देना

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 2016-17 में सीआईएल से परिकल्पित कोयला उत्पादन निम्नवत है:-

(उत्पादन मिलियन टन में)

	2016-17
मौजूदा खानें	23.82
पूर्ण परियोजनाएं	161.72
चल रही परियोजनाओं	333.33
नई परियोजनाएं	96.13
कुल	615

तालिका 3.3

इन तीन कोलफील्डों अर्थात सीसीएल में उत्तरी करणपुरा; एसईसीएल में मांद-राजगढ़ तथा एमसीएल में ईब घाटी से उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि पर विचार किया गया है और इन कोलफील्डों में रेलवे परियोजनाओं की स्थापना पर उत्पादन आश्रित है।

कोयला मंत्रालय उनकी दिक्कतों/समस्याओं से निपटने के लिए अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कार्य कर रहा है। संभावित परिणाम वार्षिक कार्य योजना, उत्पादन तथा उठान लक्ष्यों, ओबीआर रिमूवल, लिग्नाइट उत्पादन और लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। कोयला धुलाई क्षमता में वृद्धि करने तथा महत्वमूर्ण रेल और सड़क संपर्कों के कार्यान्वयन की निकट से निगरानी से सकारात्मक परिणामों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सीआईएल की भावी योजना के अनुसार वर्ष 2020 तक एक बिलियन टन के लक्ष्य तक पहुंचने की आशा है ।

3.1.3 परियोजनाओं को पूर्ण करना तथा मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार

154 चालू परियोजनाएं विभिन्न चरणों में कार्यान्वयनाधीन हैं। 3 एमटीवाई तथा इससे अधिक की क्षमता सहित 500 करोड़ रूपए तथा इससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है । 150 करोड़ रूपए तथा इससे अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय सीएवीएसईसी / पीएमजी वेबसाइट पर अपने पोर्टल पर प्राप्त अद्यतन सूचना के माध्यम से सीआईएल की चालू परियोजनाओं की निगरानी करता है ।

सीआईएल ने 451.68 एमटीवाई की अनुमानित क्षमता तथा 79213.76 करोड़ रूपए की अनुमानित पूंजी आवश्यकता सहित 129 नई/भावी परियोजनाओं की पहचान की है । अभी तक ईंधन आपूर्ति करार को अंतिम रूप देने की शर्तों पर 19 परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है। इसके अलावा, 105.27 एमटीवाई की अनुमानित क्षमता सहित 37 परियोजनाओं को वन एवं पर्यावरण अनापत्तियां प्राप्त करने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए नियमित रूप से अंतर-मंत्रालयी बैठकें की जाती हैं । कोयला मंत्रालय भूमि अधिग्रहण/ कब्जा प्राप्त करने, पर्यावरण एवं वन अनापत्तियों, राहत एवं पुनर्वास मुद्दों तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति एवं इस क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में राज्य अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है ।

3.1.4 सीआईएल द्वारा सप्लाई किए गए कोयले की तृतीय पक्ष के नमूनाकरण के कार्यान्वयन की निगरानी

कोयला कंपनियों / विद्युत ईकाइयों / विकासकर्ताओं के बीच विवाद के जटिल मुद्दों का समाधान करने तथा कोयला आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सहायक कोयला कंपनियों में पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एजेंसियों का चयन करते हुए 1.10.2013 से थर्ड पार्टी नमूना प्रणाली शुरू की गई थी। सीआईएल द्वारा नियुक्त एजेंसी के अलावा अब समिति द्वारा संयुक्त रूप से थर्ड पार्टी नमूनाकारों (25) का एक पैनल बनाया गया है जिसमें विद्युत ईकाइयों तथा सीईए के प्रतिनिधि शामिल हैं। विद्युत ईकाइयां / विकासकर्ता इस पैनल से थर्ड पार्टी नमूनाकर्ता का चयन तथा नियुक्ति कर सकेंगे। बिलिंग प्रयोजन हेतु नमूनाकरण एवं विश्लेषण एजेंसी द्वारा लदान केन्द्रों पर किया जाएगा तथा विद्युत ईकाइयों/विकासकर्ताओं द्वारा नमूनाकरण के लिए भुगतान किया जाएगा ।

3.1.4.1 कोयला लिंकेज का युक्तीकरण

लिंकेजों की युक्तीकरण की समीक्षा करने हेतु मंत्रालय (कोयला) द्वारा 13 जून, 2014 को गठित अंतर-मंत्रालयी कार्यबल (आईएमटीएफ) ने अपना कार्य पूरा कर लिया है । युक्तीकरण कार्य का उद्देश्य वर्तमान कोयला स्रोतों की व्यापक समीक्षा करना तथा इन स्रोतों के युक्तीकरण हेतु संभाव्यता पर विचार करना है जिससे कि तापीय विद्युत संयंत्रों में परिवहन लागत तथा उपलब्धि को ईष्टतम किया जा सके ।

3.1.4.2 पुराने संयंत्रों को हटाने और नए संयंत्रों को लगाने के समय पुराने संयंत्रों को दिए गए कोयला लिंकेज/एलओए का स्वपत: अंतरण

पुराने संयंत्रों को दिए गए एलओए/लिंकेज नए संयंत्रों को उनके निकटतम अति महत्वपूर्ण क्षमता हेतु स्वत: अंतरित हो जाएगें, यदि नई महत्वपूर्ण संयंत्र की क्षमता पुराने संयंत्र की क्षमता से अधिक है तो उपलब्धता को देखते हुए अतिरिक्त कोयले प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे । नए महत्वपूर्ण संयंत्रों की क्षमता कम से कम 50 प्रतिशत कर दी जाएगी । प्रस्तावित अति महत्वपूर्ण क्षमता के 50 प्रतिशत न्यूनतम लक्ष्य हासिल करने के लिए पुराने संयंत्रों को एक साथ किया जाएगा। यह नीति सार्वजनिक क्षेत्र में ही उन पूर्व-एनसीडीपी संयंत्रों पर लागू होगी जिन्हें दीर्घावधिक लिंकेज/ एलओए पहले ही प्रदान कर दिए गए हैं । एलओए का स्वत: अंतरण की अनुमति उसी राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए होगी जहां पुराना संयंत्र बंद कर दिया गया था तथापि, पुराना संयंत्र नए संयंत्र के व्यावसायिक आपरेशन शुरू करने (सीओडी) तक करते रहेंगे ।

3.1.4.3 प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कोयला लिंकेज/एलओए की प्रस्तावित नीलामी

कोयला लिंकेज/एलओए की विपणन आधारित तंत्र के माध्यम से आबंटन की संभाव्यता की जांच करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) गठित की गई है । विभिन्न पक्ष धारकों को कोयले की आपूर्ति हेतु समान अवसर प्रदान करने की वांछनीयता को देखते हुए इसकी आवश्यकता महसूस की गई है ।

3.1.5 उत्पाकदकता मानक की समीक्षा

विभिन्न अवसरों पर विभिन्न समितियों ने हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचएमएम) के उत्पादकता की जांच की हैं। सीआईएल ने भूमिगत खानों में प्रयोग किए जा रहे साइड डिस्चार्ज लोडर्स (एसडीएल) तथा लोड हाउल डम्पर्स (एलएचडी) की उत्पादकता मानकों की समीक्षा करने हेतु जून, 2013 में एक समिति का गठन किया था। इसके अलावा, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचएमएम) की उत्पादकता मानकों की समीक्षा करने के लिए सीएमपीडीआईएल ने मई, 2013 में एक समिति बनाई है। इन दोनों समितियों की रिपोर्टों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की आशा है।

3.1.6 कोयले की धुलाई पर बल देना

सीआईएल पिटहेडों से 1000 किलोमीटर दूर अवस्थित 54 तापीय विद्युत स्टेशनों को 34% से कम राख की मात्रा का 83 मिलियन टन कोयला आपूर्ति कर रहा है। उसे 05.06.2016 तक 500 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी वाले तापीय विद्युत संयंत्रों को 34% से कम राख की मात्रा वाले अतिरिक्त 46 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति करने की आवश्यकता है। अत: 73.5 मि.ट. प्रति वर्ष की कच्चे कोयले की क्षमता वाली 10 नयी कोयला वाशरियों की आयोजना की गई है और वे निविदा देने / निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। कोकिंग कोयले के लिए 6 नयी वाशरियां भी पाइपलाइन में हैं। इसके अतिरिक्त, मौजूदा कोयला लिंकेजों को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.1.7 सीआईएल में प्रौद्योगिकी विकास तथा खानों का आधुनिकीकरण

सीआईएल में खानों के प्रौद्योगिकी विकास तथा आधुनिकीकरण का अध्ययन करने और सलाह देने के लिए सीआईएल/सीएमपीडीआईएल ने जान टी बायड कंपनी (यूएसए) के सहयोग से केएमपीजी एडवाइजरी ग्रुप (इंडिया) को रखा है। अध्ययन हेतु विचारार्ध विषय निम्नवत हैं:-

- सीआईएल के विभिन्न कोलफील्डों की भूमिगत खानों तथा ओपनकास्ट खानों में सुरक्षा, उत्पादन और उत्पादकता के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी की स्थिति का आकलन करना;

- सीआईएल के विभिन्न कोलफील्डों में भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों में प्रौद्योगिकी उन्नयन की कमियों का आकलन करना;
- 12वीं, 13वीं तथा 14वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए सीआईएल की अनुमानित कोयला उत्पादन योजनाओं के संदर्भ में खान आयोजना एवं खान डिजायन और निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी तथा अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकता का मूल्यांकन करना;
- अनुमानित प्रौद्योगिकी उन्नयन आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात निर्भरता की तुलना में घरेलू क्षमताओं का मूल्यांकन करना;
- कोलफील्ड-वार अनुमानित प्रौद्योगिकी उन्नयन को पूरा करने के लिए पद्धति विकास का आकलन तथा अवरोधों का मूल्यांकन करना;
- प्रौद्योगिकी विकास में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग तथा ओटोमेशन का मूल्यांकन करना;
- विभिन्न योजना अवधियों में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए रूपरेखा तैयार करना।

जो अध्ययन पूरा हुआ है उसमें 36 भूमिगत खानें, 35 ओपनकास्ट खानें और 14 अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित 14 कोलफील्डों के 85 यूनिटें शामिल हैं। 'प्रौद्योगिकी विकास तथा कोल इंडिया लि0 की खानों का आधुनिकीकरण' के संबंध में अंतिम रिपोर्ट 30.11.2014 को प्रस्तुत कर दी गई है । कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है । उत्पाद तथा उत्पादकता में वृद्धि करने, उपभोक्ताओं की संतुष्टि के अनुसार गुणवत्ता में सुधारे करने, लागत में कमी लाने तथा सामग्री की आवाजाही में सुधार करने के लिए लिंकेजों को युक्तिसंगत बनाने के लिए तत्काल उपाय कर दिए गए हैं।

3.2 आग, धंसाव तथा पुनर्वास का समाधान करने की मास्टर योजना

प्रत्येक पांच वर्षों के लिए दो चरण में 10/12 वर्षों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न ईएमएससी योजनाओं के लिए पूर्व में स्वीकृत 116.23 करोड़ रूपए को छोड़कर 9657.61 करोड़ रूपए (7028.40 करोड़ रूपए झरिया कोलफील्ड के लिए तथा 2629.21 करोड़ रूपए रानीगंज कोलफील्ड के लिए) अनुमानित पूंजी निवेश से आग, धंसाव तथा पुनर्वास से निपटने की झरिया और रानीगंज कोलफील्डों तथा सतही-अवसंरचना के परितर्वन की मास्टर योजना अगस्त, 2009 में अनुमोदित की गई है। झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा क्रमश: गैर-बीसीसीएल/गैर-ईसीएल मकानों के पुनर्वास हेतु झरिया पुनर्वास तथा विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) और आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) की कार्यान्वयन अभिकरणों के रूप में पहचान की गई है। मास्टर योजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय केन्द्रीय समिति का गठन किया गया है जिसमें विभिन्न

मंत्रालयों तथा झारखण्ड और प.बंगाल राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब तक इस समिति की दस बैठकें हो चुकी हैं तथा प्रगति की समीक्षा नियमित आधार पर की जा रही है।

3.2.1 भूमि के पुनरूद्धार के लिए सेटेलाइट निगरानी

सतत विकास के लिए खनित क्षेत्रों का पुनरूद्धार महत्वपूर्ण है। उपयुक्त पुनरूद्धार (तकनीकी तथा जैविक दोनों) तथा खान क्लोजर पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय रिमोट सेसिंग केन्द्र, हैदराबाद के साथ भागीदारी द्वारा भूमि के पुनरूद्धार के लिए सेटेलाइट निगरानी पर अपेक्षित बल दिया जा रहा है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार उत्खनित तथा पुनरूद्धार किए गए क्षेत्र के कंपनी-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

कंपनी	उत्खनित भूमि (हैक्टेयर)	पुनरूद्धार की गई भूमि (हेक्टेयर में)	
		तकनीकी	जैविक
ईसीएल	2357.25	1200.46	362.77
बीसीसीएल	2887.15	1256.06	974.40
सीसीएल	8311.55	3837.00	3282.41
डब्ल्यूसीएल	8847.34	2953.69	1858.756
एसईसीएल	6540.00	3667.93	2498.13
एमसीएल	4282.82	1629.096	1164.38
एनसीएल	5557.869	2510.13	1757.09
एनईसी	649.51	44.28	38.865
कुल सीआईएल	**39433.489**	**17098.646**	**11936.801**

तालिका 3.4

3.3 कोयला नियंत्रक के संगठन को सुदृढ़ करना

हाल के वर्षों में कोयला क्षेत्र सहित उसकी नीतिगत रूपरेखा तथा विधिक प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिसकी वजह से कोयला नियंत्रक के संगठन की पुनर्संरचना करने तथा उसके पुनर्विन्यास करने की आवश्यकता हुई। इस पृष्ठ भूमि में इस उद्देश्य के साथ इंडियन स्कूल

ऑफ माइन्स (आईएसएम) को एक अध्ययन अवार्ड किया गया था कि कोयला नियंत्रक संगठन एक विशेषज्ञता प्राप्त अभिकरण के रूप में अधिक समर्थक भूमिका एवं कार्य का उत्तरदायित्व लें। पर्यावरण तथा सुरक्षा दो मुख्य मसले हैं जिनके लिए कोयला क्षेत्र को संघर्ष करना है और कोयला नियंत्रक संगठन को स्वविवेकी समन्वयक की भूमिका निभाने की आवश्यकता है और उसे डीजीएमएस, एमओईएफ तथा राज्य सरकारों की तरह उद्योग तथा विनियामकों के बीच एक संपर्क अभिकरण बनाना है। इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा वह मंत्रालय के विचाराधीन है।

3.4 कोयला क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी

2013-14 के बजट भाषण में देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए भागीदारों में एक भागीदार के रूप में कोल इंडिया लि. के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) हेतु घोषणा की गई थी। तदनुसार, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की रूपरेखा के भीतर सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए एक रूपरेखा की सिफारिश करने के लिए सचिव (केायला) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई थी जिसमें अन्यों के अलावा योजना आयोग, वित्त मंत्रालय (डीईए), श्रम तथा रोजगार मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय (डीएलए) के प्रतिनिधि शामिल थे। इस पहल का बुनियादी उद्देश्य सीआईएल की कोयला खानों के उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए प्रमुख खनन कंपनियों के साथ भागीदारियां आकर्षित करना था। समिति ने खान विकासकर्त्ता तथा प्रचालकों (एमडीओ) मॉडल सहित विभिन्न माडलों पर विचार-विमर्श किया। सीआईएल बोर्ड ने कोयला खनन हेतु एक आदर्श रियायत करार को हाल ही में अंतिम रूप दिया है ।

3.5 कोयला ब्लॉकों के आबंटन से संबंधित नीति में परिवर्तन

3.5.1 संशोधित एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधान

खान तथा खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 9 सितम्बर, 2010 को अधिसूचित किया गया है जिसमें ऐसी शर्तें जिसे निर्धारित किया जाए, पर प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट वाले क्षेत्रों के संबंध में सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन लीज प्रदान करने की व्यवस्था है। तथापि, यह निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:-

जहां ऐसे क्षेत्र को खनन अथवा ऐसे अन्य निर्दिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए किसी सरकारी कंपनी अथवा निगम के आबंटन हेतु विचार किया जाता है;

- जहां ऐसे क्षेत्र को किसी कंपनी अथवा निगम को आबंटन करने के लिए विचार किया जाता है जिसे टैरिफ हेतु प्रतिस्पर्द्धी बोलियों के आधार पर किसी वि युत परियोजना (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित) को दिया गया हो।

3.5.2 संशोधित अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम:

सरकार ने 2 फरवरी, 2012 को कोयला खानों की प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी नियमावली, 2012 को अधिसूचित किया है। इसके अलावा, सरकार ने सरकारी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए 27 दिसम्बर, 2012 को कोयला खानों की प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी (संशोधन) नियमावली, 2012 को अधिसूचित किया है। इसमें पूर्व निर्धारित मानदंडों तथा कोयले की उपयोगिता के आधार पर आबंटन के लिए सरकारी कंपनी के चयन हेतु विस्तृत शर्तें दी गई हैं।

3.5.3 अतिरिक्त कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की पहचाना करना

अतिरिक्त कोयला ब्लॉकों की पहचान करने, उन कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द करना जिसमें कोई विवाद नहीं है, के लिए अपर सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है जिसमें कोयला मंत्रालय, सीआईएल, सीएमपीडीआईएल, कोयला नियंत्रक संगठन और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति सीबीएम ब्लॉक आबंटितियों द्वारा मांगे गए क्षेत्रों में कोयला ब्लॉकों के आबंटन की भी जांच करेगी।

3.5.4 भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त/ आबंटन रद्द किए गए कोयला खानों/ब्लाकों के संबंध की गई कार्रवाई

माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) **2012** की सं.120 तथा अन्य संबंधित मामलों में दिनांक 25.08.2014 और दिनांक 24.09.2014 के अपने निर्णय / आदेश द्वारा वर्ष 1993 से आबंटित किए गए 218 कोयला ब्लॉकों में से 204 कोयला ब्लॉकों के आबंटन को रद्द कर दिया है।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त/ आबंटन रद्द किए गए 204 कोयला ब्लॉकों के प्रबंधन एवं पुन:आबंटन हेतु सरकार ने 21.10.2014 को कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 और उसके बाद 26.12.2014 को कोयला खान (विशेष उपबंध) द्वितीय अध्यादेश, 2014 को प्रख्यापित किया गया है ताकि नीलामी अथवा किसी सरकारी कंपनी को आबंटन, जो भी मामला हो, के माध्यम से नए आबंटितियों को खानों / ब्लाकों में अधिकारों,

स्वामित्व और हित का सरलता पूर्वक अंतरण सुनिश्चित हो सके । कोयला खान (विशेष उपबंध) नियमावली, 2014 को 11.12.2014 को अधिसूचित कर दिया गया है ।

कोयला ब्लॉकों के आबंटन को उक्त अध्यादेश के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित किया जाएगा । प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए कोयला ब्लाक की नीलामी ई-नीलामी मोड में की जाएगी । नीलामी हेतु न्यूनतम / आरक्षित मूल्य निर्धारित करने हेतु कार्य प्रणाली तथा इन कोयला खानों/ ब्लॉकों के आबंटन को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है । नीलामी और आबंटन हेतु विशिष्ट अन्त्य उपयोग सहित 110 कोयला खानों / ब्लॉकों को निर्धारित किया गया था । अनुसूची-।। में प्रयुक्त होने वाले 23 चालू कोयला खानों के लिए 25.12.2014 को निविदा आमंत्रित करने हेतु नोटिस (एनआईटी)के प्रकाशन के साथ ही ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है ।

- प्रथम चरण में इन 23 कोयला खानों/ब्लॉकों में से 19 कोयला खानों की ई-नीलामी सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है।

- दिनांक 07.01.2015 को निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के साथ ही दूसरे चरण में अनुसूची III के अन्य 23 कोयला ब्लॉक नीलामी के लिए प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इनमें से 10.03.2015 की स्थिति के अनुसार 13 पैकजों में 14 कोयला ब्लॉकों की ई-नीलामी पूरी कर ली गई है।

पहले नीलाम किए जा चुके 33 कोयला खानों के संबंध में जुटाई जाने वाली अनुमानित राजस्व राशि 209740.25 करोड़ रु. है। नीलामी से प्राप्त राशि संबंधित राज्य सरकारों को अंतरित की जाएगी।

अध्यादेश के स्थान पर कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2014 को कुछ संशोधनों के साथ लोक सभा में शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था तथा 12.12.2014 को पास कर दिया गया था। उक्त विधेयक 18.12.2014 को राज्य सभा में भेजा गया था परन्तु इसे विचार हेतु नहीं लाया जा सका । चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था तथा उक्त अध्यादेश 5.1.2015 को समाप्त हो जाता, कोयला खान (विशेष उपबंध) द्वितीय अध्यादेश, 2014 को राष्ट्रपति द्वारा 26.12.2014 को प्रख्यापित किया गया था। द्वितीय अध्यादेश के स्थान पर एक विधेयक बजट सत्र के दौरान लोक सभा में पहले ही पेश किया जा चुका है ।

3. 6 सीसीडीए विधेयक को पुन: प्रस्तुत करना

प्रस्तावित विधेयक सीएम (सी एंड डी) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अधीन सभी प्रकार के कोयले के लिए रेत भरायी तथा उत्पादन शुल्क की सीमा मौजूदा 10 रूपए प्रति टन से बढ़ाकर 50 रूपए प्रति टन करने के लिए कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 के प्रावधानों में संशोधन करने के संबंध में है।

लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक को कोयला तथा इस्पात से सम्बद्ध स्थायी समिति को जांच हेतु भेजा गया था। स्थायी समिति ने संशोधन विधेयक की सिफारिश की जो लोकसभा के विचारार्थ लंबित पड़ा था। 15वीं लोकसभा के विघटन के बाद इस विधेयक को समाप्त माना समझा गया है। संशोधन हेतु प्रस्ताव को नए सिरे से मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

3.7 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कोल इंडिया लि0 तथा इसकी सहायक कंपनियां एवं नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 (एनएलसी) सीएसआर नीति के अंतर्गत विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलाप कर रहे हैं । सीएसआर के अंतर्गत निधियों का आबंटन 1.4.2014 से डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार हैं । ये दिशा-निर्देश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) पर आधारित है जिसमें किसी कंपनी के विगत तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करना निर्धारित किया गया है । नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 (एनएलसी) ने उपरोक्तानुसार सीएसआर निधियों का आबंटन किया है, कोल इंडिया लि0 ने अपने स्वयं की नीति बनाई है तथा कंपनी के विगत तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत अथवा विगत वर्ष के कोयले उत्पादन का 2 रूपए प्रति टन, जो भी, अधिक हो, के आधार पर निधियों का आबंटन किया है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रत्येक वर्ष कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के अधीन सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों को आबंटित तथा उपयोग की गई राशि के ब्यौरे सहायक कंपनी-वार अगले पृष्ठ दिया गया हैं:-

(करोड़ रू. में)

कंपनी	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (सितम्बर, 14 तक)	
कोल इंडिया लि0 और सहायक कंपनियां	आबंटित	उपयोग की गई	आबंटित	उपयोग की गई	आबंटित	उपयोग की गई	आबंटित	सितम्बर, 2014 तक उपयोग की गई
ईसीएल	16.50	13.14	23.89	09.42	29.35	---	37.90	0.72
बीसीसीएल	14.50	05.53	23.63	07.43	30.50	20.00	30.00	0.91
सीसीएल	53.88	11.00	47.72	13.66	26.42	26.94	48.00	12.69
डब्ल्यूसीएल	55.82	07.85	40.67	20.96	29.46	23.80	7.95	7.59
एसईसीएल	146.44	17.66	181.79	46.63	63.94	43.91	129.00	7.54
एमसीएल	82.00	14.47	73.36	25.56	101.72	111.48	112.48	58.47
एनसीएल	93.42	09.25	95.73	17.64	48.99	39.72	80.28	14.82
सीएमपीडीआईएल	0.77	00.49	1.63	01.06	1.82	01.82	2.00	0.28
सीआईएल एंड एनईसी	90.00	02.59	107.32	07.19	142.16	141.70*	24.04	8.20
कुल	**553.33**	**81.98**	**595.74**	**149.55**	**474.36**	**409.37**	**471.65**	**111.22**
1. नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 (एनएलसी)	13.00	11.53	13.00	14.26	26.04	26.30	41.42	30.60 (दिसम्बर, 14 तक)

तालिका 3.5

कोयला मंत्रालय स्वच्छ भारत / स्वच्छ विद्यालय अभियान के प्रति प्रतिबद्ध है । इसके लिए सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कुल सीएसआर बजट का 50 प्रतिशत राशि निर्धारित की है जिसका उपयोग स्कूल शौचालय के निर्माण में किया जाएगा । इसके लिए बजट का आबंटन लगभग 235 करोड़ रूपए है ।

सीआईएल की सात सहायक कंपनियां 6 राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 35224 स्कूलों में 52036 स्कूल शौचालयों का निर्माण कर रही हैं । इन राज्यों में शौचालयों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है तथा निर्माण का कार्य शुरू करने हेतु निविदा जारी कर दी गई है और 15 मार्च, 2015 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है ।

3.8. कोयला उत्पादन बढ़ाने हेतु किए जा रहे उपाय

सीआईएल के मामले में चार सहायक कंपनियों, एसईसीएल, एमसीएल, सीसीएल और एनसीएल की चालू एवं भावी परियोजनाओं से उत्पादन में प्रमुख वृद्धि की परिकल्पना की गई है। चल रही 154 परियोजनाओं से 230 मिलियन टन की कुल आउटपुट क्षमता सहित 93 परियोजनाओं के लिए अनापत्तियां प्राप्त हो गई हैं जिनमें से वर्ष 2014-15 में 154 मिलियन टन का योगदान होने की आशा है । 337 मि.टन की कुल क्षमता सहित कुल 61 परियोजनाओं के लिए उनकी योजनागत क्षमता तक पहुंच के लिए अनापत्तियां प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। तथापि, वन भूमि में आंशिक अनापत्तियां प्राप्त होने को देखते हुए इन परियोजनाओं से 2014-15 में 135 मि.टन का उत्पादन होने की आशा है ।

सीआईएल ने कोयला उत्पादन बढ़ाने हेतु निम्नकलिखित उपाय किए हैं :-

- सभी नई खानों की योजनाओं में मशीनीकरण एवं आधुनिकीकरण शामिल हैं ।
- भूमिगत एवं ओपनकास्ट खानों दोनों में उत्पादकता बढायी जा रही है ।
- कोयले की मांग में वृद्धि करने को पूरा करने हेतु उत्पादन स्तर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास । मौजूदा खानों से उत्पादन में वृद्धि, क्षमता सुधार एवं आधुनिकीकरण के माध्यम से क्षमता उपयोगिता में सुधार करते हुए की जा रही है ।
- समयानुसार उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समयबद्ध तरीके से चालू परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।
- निर्धारित समय-सीमा में ईसी/एफसी प्राप्त करने हेतु सभी सहायक कंपनियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि परियोजनाएं समय पर उत्पादन प्रारंभ कर सके ।
- पहचान की गई और विस्तार परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं ।

उत्पादन बढ़ाने हेतु एससीसीएल के रोडमैप में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :-

- मशीनीकरण सहित नई खानों की योजना ।
- गहराई में स्थित डिपोजिस्ट को निकालने के लिए उच्च क्षमता वाले लांग-वाल लगाना ।
- सतत खनिक की तैनाती ।
- ईष्टतम स्तर तक डिप साइड तक मौजूदा ओपनकास्ट कार्यों का विस्तार ।
- उत्पादकता बढ़ाने हेतु संसाधनों की ईष्टतम उपयोगिता ।
- चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना ।